

कार्यालय-वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 3419 /33-1, दिनांक गोण्डा, मई 09 /2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

विषय:-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/151936/2022)

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को भेज दिया गया, परन्तु हार्ड कापी अभी तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण प्रस्ताव ऑनलाईन आपको वापस किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाईन एवं हार्ड कापी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सके।

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।